

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-02/2016/..... /पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

प्रमोद कुमार वर्मा,
निदेशक,
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार,
पटना।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, गया, नवादा, मुंगेर,
शेखपुरा, बेगुसराय, खगड़िया, भागलपुर, पूर्णियाँ, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, दरभंगा,
मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, वैशाली, सारण,
सिवान एवं गोपालगंज।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजना भिन्न से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय
कार्यालयों के स्थापना व्यय से वहन हेतु राशि भुगतान के लिए अतिरिक्त आवंटन के
संबंध में। कुल आवंटित राशि 3,26,26,000/- (तीन करोड़ छब्बी लाख छब्बीस हजार)
रुपये मात्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-423/वि० दिनांक-
31.03.16 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए
बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 30.03.2016 को स्वीकृति प्रदान
की जा चुकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका-1(क) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न विवरणी के अनुसार
व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।

3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 111-
जन्म-मृत्यु सांख्यिकी, 0001-सामान्य सांख्यिकी का संग्रह शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है,
जिसका मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-N/3454021110001 है।

4. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 28 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः उप
निदेशक(आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित जिला
सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की
संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी
की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में
निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि चुकी निकासी के लिए संबंधित
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

6. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय । इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।
7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
8. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में निधी निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था से संबंधित पत्रांक- एम-4-09/2014-2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572/वि० दिनांक 03.06.2016 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्रमोद कुमार वर्मा

निदेशक

ज्ञापांक/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक ⁰⁴...../पटना, दिनांक ^{27.06.2016}.....

प्रतिलिपि: 1. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी
2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

27/06/16

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष 3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 111-जन-मृत्यु सांख्यिकी, उप शीर्ष- 0001- सामान्य सांख्यिकी का संग्रह शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 का अतिरिक्त आवंटन विवरणी । मांग सं 35 एवं विपत्र कोड- N/3454021110001

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01	01-03	01-04	01-05	01-06	01-07	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01	11-01	13-01	13-03	13-04	13-05	13-06	20-02	20-03	कुल योग	
		वेतन	जीवन यापन भत्ता	भकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता		चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	विद्युत प्रभार	विधि प्रभार	वर्दी/ पोशाक	कान्फेन्स, कार्यशाला एवं	प्रशिक्षण व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना	7000000	9170000	1400000	130000	60000	3000	17763000	100000	-	200000	-	-	10000	4000	-	100000	18177000	
जिला सांख्यिकी कार्यालय																			
2	पटना	400000	524000	80000	30000	3000	-	1037000	-	15000	-	-	-	-	-	-	-	1052000	
3	नालन्दा	300000	393000	30000	-	3200	-	726200	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	736200	
4	भोजपुर	200000	262000	20000	-	2400	-	484400	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	494400	
5	बक्सर	300000	393000	30000	-	1600	-	724600	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	734600	
6	रोहतास	125000	163800	12500	-	1000	-	302300	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	312300	
7	गया	200000	262000	20000	-	3200	-	485200	-	15000	-	-	-	-	-	-	-	500200	
8	नवादा	250000	327500	25000	-	2400	-	604900	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	614900	
9	मुंगेर	300000	393000	30000	-	3200	-	726200	-	7000	-	-	-	-	-	-	-	733200	
10	शेखपुरा	150000	196500	15000	-	800	-	362300	-	7000	-	-	-	-	-	-	-	369300	
11	बेगुसराय	200000	262000	20000	-	1600	-	483600	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	493600	
12	खगड़िया	50000	65500	5000	-	800	-	121300	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	131300	
13	भागलपुर	50000	65500	5000	-	800	-	121300	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	131300	
14	पूणियाँ	150000	196500	15000	-	1600	-	363100	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	373100	
15	किशनगंज	150000	196500	15000	-	1600	-	363100	-	7000	-	-	-	-	-	-	-	370100	
16	कटिहार	250000	327500	25000	-	2400	-	604900	-	14000	-	-	-	-	-	-	-	618900	

Net

pur

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01	01-03	01-04	01-05	01-06	01-07	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01	11-01	13-01	13-03	13-04	13-05	13-06	20-02	20-03	कुल योग
		वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग- वेतन एवं भत्ते	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	विद्युत प्रभार	प्रभार	वर्दी/ पोशाक	कान्फेन्स, कार्यशाला एवं	प्रशिक्षण व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	सहरसा	170000	222600	17000	-	1600	-	411200	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	421200
18	दरभंगा	300000	393000	30000	-	2400	-	725400	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	735400
19	मधुबनी	100000	131000	10000	-	1600	-	242600	-	15000	-	-	-	-	-	-	-	257600
20	समस्तीपुर	325000	425800	32500	-	3200	-	786500	-	15000	-	-	-	-	-	-	-	801500
21	मुजफ्फरपुर	400000	524000	40000	-	3200	-	967200	-	15000	-	-	-	-	-	-	-	982200
22	सीतामढ़ी	150000	196500	15000	-	1600	-	363100	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	373100
23	पूर्वी चम्पारण	150000	196500	15000	-	800	-	362300	-	15000	-	-	-	-	-	-	-	377300
24	प० चम्पारण	200000	262000	20000	-	1600	-	493600	-	15000	-	-	-	-	-	-	-	498600
25	वैशाली	200000	262000	20000	-	1600	-	483600	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	493600
26	सारण	300000	393000	30000	-	3200	-	726200	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	736200
27	सिवान	250000	327500	25000	-	1600	-	604100	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	614100
28	गोपालगंज	200000	262000	20000	-	800	-	482800	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	492800
	कुल योग:-	12820000	16794200	2022000	160000	112800	3000	31912000	100000	300000	200000	0	0	10000	4000	0	100000	32626000

(तीन करोड़ छब्बीस लाख छब्बीस हजार) रुपये मात्र।

निदेशक
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

27/6/16